



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082026-275129
CG-DL-E-03082026-275129

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4131]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 2026/श्रावण 12, 1948

No. 4131]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 2026/SHRAVAN 12, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2026

का.आ. 4307(अ).— जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 (46) में कतिपय निकायों या प्राधिकरणों या बोर्डों या न्यासों या आयोगों की विनिर्दिष्ट आय की छूट का प्रावधान किया गया है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा उस धारा के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक राजपत्र में द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;

और जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536 (1) द्वारा निरस्त कर दिया गया है;

और जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) और (ख) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन् पश्चात् 1961 के अधिनियम के रूप में संदर्भित) के निरसन के बावजूद और उसकी उप-धारा (4) के अधीन, निम्न पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यथा:-

- (i) 1961 के अधिनियम के प्रावधानों का पिछला प्रचालन और इसके अंतर्गत जारी कोई आदेश या विधित किया गया कोई कार्य या हुई बात
- (ii) 1961 के अधिनियम या इस अधिनियम के तहत आदेशों के तहत प्राप्त, अर्जित या किए गए किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देनदारी;

और जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ग) में प्रावधान है कि 1961 के अधिनियम के प्रावधान आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के शुरू होने की तिथि को लंबित किसी भी कार्यवाही पर और (1 अप्रैल, 2026 से पहले शुरू होने वाले किसी भी कर वर्ष के संबंध में 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद शुरू की गई किसी भी कार्यवाही (नोटिस मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना, सुधार, जुर्माना, संदर्भ, संशोधन और अपील सहित) पर लागू रहेंगे और ऐसी कार्यवाही 1961 के अधिनियम कि विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी;

और जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ड) में यह प्रावधान है कि इसके प्रारंभ होने की तारीख को किसी आयकर प्राधिकरण या निरसित आयकर अधिनियम के अंतर्गत गठित कोई अन्य प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी भी कार्यवाही को इस तरह से जारी रखा जायेगा और उसका निपटान किया जायेगा जैसे कि इस अधिनियम को अधिनियमित ही न किया गया हो;

अतः अब, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) से (ग) और (ड) के प्रावधानों के अनुपालन में, केंद्र सरकार, एतद्वारा, 1961 के अधिनियम की धारा 10 (46) के प्रयोजनों के लिए, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एचएसबीटीई), पंचकूला (AAAGT0008A), जो कि हरियाणा तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2008 (2008 का अधिनियम सं. 19), के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड है, को उक्त बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, अधिसूचित करती है, यथा:-

- (क) केन्द्र सरकार और हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, असाइनमेंट तथा अंशदान और ऋण;
- (ख) शुल्क, जैसे संबद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रवासन शुल्क, प्रतिलेखन शुल्क, आदि;
- (ग) दंड सहित रॉयल्टी और प्रभार;
- (घ) वसीयत, दान और बंदोबस्ती या अन्य योगदान;
- (ङ) हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड में निहित किसी प्रतिभूतियों और किराए की बिक्री आय और संपत्ति से लाभ; तथा
- (च) बैंक जमा पर अर्जित व्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एचएसबीटीई), पंचकूला:-

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
- (ख) इसकी गतिविधियां और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेगी; तथा
- (ग) 1961 के अधिनियम की धारा 139 (4 ग) (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. इन शर्तों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 1961 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, और 1961 के अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ले ली जाएगी।

4. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष, 2023-24 से संबंधित निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए लागू मानी जाएगी.

[अधिसूचना सं. 103/2026/फा. सं. 300196/76/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण- ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या आयकर विभाग के समक्ष दायर किए गए आवेदन के वर्ष से) देने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2026

S.O. 4307(E).— Whereas, section 10 (46) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) provided for exemption of specified income of certain bodies or authorities or Boards or Trusts or Commissions as may be notified by the Central Government in the Official Gazette for the purposes of that section;

And whereas, the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) was repealed by section 536 (1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025);

And whereas, section 536(2)(a) and (b) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), *inter alia*, provides that irrespective of the repeal of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Act of 1961) and subject to sub-section (4) thereof, nothing shall affect-

- (i) the previous operation of the provisions of the Act of 1961 and any order or anything duly done or suffered thereunder; or
- (ii) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the Act of 1961 or orders under that Act;

And whereas, section 536(2)(c) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) provides that the provisions of the Act of 1961 shall continue to apply to any proceeding pending on the date of commencement of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) and to any proceedings initiated on or after the 1st April, 2026 (including notices, assessment, reassessment, recomputation, rectification, penalty, reference, revision and appeals) in respect of any tax year beginning before the 1st April, 2026 and such proceedings shall be carried out as per the procedure specified in the Act of 1961;

And whereas, section 536(2)(e) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) provides that any proceeding pending on the date of its commencement before any income-tax authority or any other authority constituted under the repealed Income-tax Act, Appellate Tribunal, or any court, by way of application, appeal, reference or revision or by any other means, shall be continued and disposed of as if this Act had not been enacted;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 536(2) (a) to (c) and (e) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), the Central Government hereby notifies, for the purposes of section 10 (46) of the Act of 1961, 'Haryana State Board of Technical Education (HSBTE), Panchkula' (PAN: AAAGT0008A), a Board constituted by the State Government of Haryana under the Haryana Board of Technical Education Act, 2008 (Act No. 19 of 2008), in respect of the following specified income arising to the said board namely :-

- (a) Grants, Assignments and Contributions and loans received from the Central Government and the State Government of Haryana;
- (b) Fees, such as Affiliation Fees, Examination Fees, Migration Fees, Transcription Fees, etc.;
- (c) Royalties and charges including penalties;
- (d) Bequests, donations and endowments or other contributions;
- (e) Sale proceeds of any securities and Rents and profits from property vested in Haryana State Board of Technical Education; and
- (f) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that the Haryana State Board of Technical Education (HSBTE), Panchkula –

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) its activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provisions of section 139(4C) (g) of the Act of 1961.

3. Failure to comply with these conditions shall result in the initiation of penal actions under the provisions of the Act of 1961, and withdrawal of exemption granted under section 10(46) of the Act of 1961.

4. This notification shall be deemed to have been applied for assessment year 2024-25 relevant for the financial year 2023-24.

[Notification No. 103/2026/F. No.300196/76/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that the interests of no person are being adversely affected by giving retrospective effect [with effect from the year of application filed before the Board or Income-tax Department] to this notification.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082026-275131
CG-DL-E-03082026-275131

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4132]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 03, 2026/श्रावण 12, 1948

No. 4132]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 03, 2026/SHRAVAN 12, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2026

का.आ. 4308(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 (46) में कुछ निकायों या प्राधिकरणों या बोर्डों या ट्रस्टों या आयोगों की निर्दिष्ट आय की छूट का प्रावधान किया गया है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा उस धारा के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाए;

और जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536 (1) द्वारा निरसित कर दिया गया था;

और जबकि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) और (ख), अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करती है कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसके बाद 1961 के अधिनियम के रूप में संदर्भित) के निरसन के बावजूद और उसके उप-धारा (4), के निम्नलिखित को कुछ भी अध्यधीन प्रभावित नहीं करेगा-

- (i) 1961 के अधिनियम के प्रावधानों का पिछला संचालन और कोई आदेश या उसके तहत विधिवत किया गया कृत्य या हानि; या
- (ii) 1961 के अधिनियम या उस अधिनियम के तहत आदेशों के तहत प्राप्त, अर्जित या किए गए किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, देनदारी या दायित्व;

और जबकि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ग) में प्रावधान है कि 1 अप्रैल, 2026 से पहले शुरू होने वाले किसी भी कर वर्ष के संबंध में 1961 के अधिनियम के प्रावधान आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के शुरू होने की तारीख को लंबित किसी भी कार्यवाही पर और 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद शुरू की गई किसी भी कार्यवाही पर लागू रहेंगे (नोटिस सहित निर्धारण, पुनःनिर्धारण, पुनर्गणना, सुधार, जुर्माना, संदर्भ, संशोधन और अपील सहित) और ऐसी कार्यवाही 1961 के अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यवाही के अनुसार की जाएगी;

और जबकि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ई) में प्रावधान है कि किसी भी आयकर प्राधिकरण या निरस्त आयकर अधिनियम, अपीलीय न्यायाधिकरण, या किसी भी अदालत के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष इसके शुरू होने की तारीख को लंबित कोई भी कार्यवाही, आवेदन, अपील, संदर्भ या संशोधन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, जारी रखा और निपटाया जाएगा जबकि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया था;

अतः केंद्र सरकार अब, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) से (ग) और (ङ) के प्रावधानों के अनुसरण में, एतद्वारा 1961 के अधिनियम की धारा 10 (46) के प्रयोजनों के लिए " जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चरखी दादरी (पैन AAAGD1414N) ", जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (1987 का 39) के तहत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण है, उस प्राधिकरण को उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, अर्थात्:-

- (क) विधिक सेवा प्राधिकरण, 1987 (1987 का 39) के प्रयोजन के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण यानी हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान;
- (ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार या हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान या दान;
- (ग) न्यायालय के आदेश के तहत प्राप्त राशि;
- (घ) भर्ती आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त शुल्क; तथा
- (ङ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन लागू होगी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चरखी दादरी –

- (क) किसी भी व्यावसायिक कार्यकलाप में संलिप्त नहीं होगी;
- (ख) इसके कार्यकलाप और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; तथा
- (ग) 1961 के अधिनियम के 139(4ग)(छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगी।

3. इन शर्तों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 1961 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, और 1961 के अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ले ली जाएगी।

4. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 से संबंधित कर निर्धारण वर्षों 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं 104 /2026/ फा. सं. 300196/1/2026-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण संबंधित ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या आयकर विभाग के समक्ष दायर किए गए आवेदन के वर्ष से) देने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2026

S.O. 4308(E).— Whereas, section 10 (46) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) provided for exemption of specified income of certain bodies or authorities or Boards or Trusts or Commissions as may be notified by the Central Government in the Official Gazette for the purposes of that section;

And whereas, the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) was repealed by section 536 (1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025);

And whereas, section 536(2)(a) and (b) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), *inter alia*, provides that irrespective of the repeal of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Act of 1961) and subject to sub-section (4) thereof, nothing shall affect-

(i) the previous operation of the provisions of the Act of 1961 and any order or anything duly done or suffered thereunder; or

(ii) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the Act of 1961 or orders under that Act;

And whereas, section 536(2)(c) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) provides that the provisions of the Act of 1961 shall continue to apply to any proceeding pending on the date of commencement of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) and to any proceedings initiated on or after the 1 April, 2026 (including notices, assessment, reassessment, recomputation, rectification, penalty, reference, revision and appeals) in respect of any tax year beginning before the 1st April, 2026 and such proceedings shall be carried out as per the procedure specified in the Act of 1961;

And whereas, section 536(2)(e) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) provides that any proceeding pending on the date of its commencement before any income-tax authority or any other authority constituted under the

repealed Income-tax Act, Appellate Tribunal, or any court, by way of application, appeal, reference or revision or by any other means, shall be continued and disposed of as if this Act had not been enacted;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 536(2)(a) to (c) and (e) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), the Central Government hereby notifies, for the purposes of section 10 (46) of the Act of 1961, “District Legal Services Authority, Charkhi Dadri” (PAN AAAGD1414N), an Authority constituted by the State Government of Haryana under Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), in respect of the following specified income arising to that authority, namely:-

- (a) grants received from the Punjab and the Haryana High Court, the Central Authority i.e. the National Legal Services Authority and State Authority i.e., Haryana State Legal Services Authority for the purpose of the Legal Services Authorities Act, 1987(39 of 1987);
- (b) grants or donation received from the Central Government or the State Government of Haryana for the purpose of the Legal Services Authorities Act, 1987(39 of 1987);
- (c) amount received under the order of the Court;
- (d) fees received as recruitment application fee; and
- (e) interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that the District Legal Service Authority, Charkhi Dadri -

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) its activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provisions of section 139(4C) (g) of the Act of 1961.

3. Failure to comply with these conditions shall result in the initiation of penal actions under the provisions of the Act of 1961, and withdrawal of exemption granted under section 10(46) of the Act of 1961.

4. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment years 2023-24, 2024-25, 2025-26 and 2026-27 relevant to the financial years F.Y. 2022-23, 2023-24, 2024-25 and 2025-26.

[Notification No. 104 /2026/ F.No.300196/1/2026-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that the interests of no person are being adversely affected by giving retrospective effect [with effect from the year of application filed before the Board or Income tax Department] to this notification.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082026-275127
CG-DL-E-03082026-275127

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4133]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 2026/श्रावण 12, 1948

No. 4133]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 2026/SHRAVAN 12, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2026

का.आ. 4309(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) (एतश्मिन् पश्चात् उक्त अधिनियम से संदर्भित) की धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36]] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चरखी दादरी' (पैन AAAGD1414N), जो कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के तहत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण है, को उक्त प्राधिकरण को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, अधिसूचित करती है, यथा: -

(क) विधिक सेवा प्राधिकरण, 1987 (1987 का 39) के प्रयोजन के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण यानी हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान;

- (ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार या हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान या दान;
- (ग) न्यायालय के आदेश के तहत प्राप्त राशि;
- (घ) भर्ती आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त शुल्क; तथा
- (ङ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चरखी दादरी' (पैन AAAGD1414N)-

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगी;
- (ख) उक्त अधिनियम की धारा 263 की उप-धारा (9) के खंड (ग) (xiii) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगी; तथा
- (ग) की गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे कर वर्षों में अपरिवर्तित रहेगी।

3. पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने में विफलता की स्थिति में धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] के तहत दी जाने वाली छूट वापस ले ली जाएगी और उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही भी शुरू की जाएगी।

4. यह अधिसूचना कर वर्ष 2026-27 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 105/2026/फा. सं. 300196/1/2026-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2026

S.O. 4309(E).— In exercise of the powers conferred by Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with section 11 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, ‘District Legal Services Authority, Charkhi Dadri’ (PAN AAAGD1414N), an Authority constituted by the State Government of Haryana under the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), in respect of the following specified income arising to the said authority namely :-

- (a) grants received from the Punjab and the Haryana High Court, the Central Authority i.e. the National Legal Services Authority and State Authority i.e., Haryana State Legal Services Authority for the purpose of the Legal Services Authorities Act, 1987(39 of 1987);
- (b) grants or donation received from the Central Government or the State Government of Haryana for the purpose of the Legal Services Authorities Act, 1987(39 of 1987);
- (c) amount received under the order of the Court;
- (d) fees received as recruitment application fee; and
- (e) interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that ‘District Legal Service Authority, Charkhi Dadri’ (PAN AAAGD1414N):-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) shall file return of income in accordance with the provision of clause (c)(xiii) of sub-section (9) of section 263 of the said Act; and
- (c) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the tax years.

3. Failure to comply with the conditions specified in paragraph 2 shall result in withdrawal of exemption under Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with section 11 and initiation of proceedings under the said Act.

4. This notification shall be applicable for the tax year 2026-27.

[Notification No. 105/2026/F. No. 300196/1/2026-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.